22-1-18 पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 23-1-18 को पेश हो।

23.1.18 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र कायम मुकाम हेतु पेश-

विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या-3 की तामिल नहीं हुई तथा वह भीलवाडा में रहता है जिससे उसकी मृत्यु की जानकारी नहीं हो पाई ।अब उसकी मृत्यु की जानकारी होने पर यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया गया है । रेस्पोडेन्ट सं0-3 रणधीरसिंह नाऔलाद फौत हुआ उसके वारिसों उसकी जिन्दा पत्नी सन्तोषदेवी है जिसे कायम मुकाम बनाया जावे ।

विद्वान वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि रणधीरसिंह का देहान्त 4-10-2009 को हो चुका है ।रणधीरसिंह के एक पुत्र सांवतसिंह एवं उसकी पत्नी है ।सांवतसिंह को अपील मे गलत रूप से नारायण का पुत्र बताया है ।अपीलान्ट ने अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश की है जिससे यह अपील प्रारम्भ से ही अकृतता लिये हुये हैं ।अपील सन् 2011 से विचाराधीन है।अपीलान्ट की जिम्मेदारी है तामिल कराने की किन्तु लगभग 7 साल पूरे हो गये रेस्पोडेन्ट की तामिल भी नहीं कराई गई है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-3 भीलवाडा कभी भी नहीं रहा वह सेवद छोटी में फौत हुआ है जहां का अपीलान्ट निवासी है ।अपीलान्ट को रणधीर सिंह की मृत्यु के दिन से ही जानकारी रहीं है । अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र जानबूझकर विलम्ब से पेश किया है । प्रार्थना पत्र के साथ न तो शपथ

319/2011 शिवनाथसिंह — नाथा

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

पत्र पेश किया है और न ही अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है ।अतः अपीलान्ट का प्रा0 पत्र खारिज किया जाकर अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।बहस के समर्थन में नजीर 2012(3)डीएनजे (राज0) पेज 1715 पेश की ।

बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया ।यह सही है कि अपील दिनांक 24-11-2011 को पेश की गई जिसमें तामिल की सम्पूर्ण कार्यवाही आज तक वकील अपीलान्ट द्वारा नहीं की गई ।अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि रेस्पोडेन्ट सं0-3 भीलवाड़ा रहता था । जबाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र में रेस्पोडेन्ट सं0-3 रणधीरसिंह की मृत्यु दिनांक 4-10-2009 को हो चुकी तथा मृत्यु का स्थान सेवद छोटी दर्ज किया है जहां का अपीलांट स्थाई निवासी है ।अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि उसे मृत्यु की जानकारी नहीं हुई । साथ ही अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ न तो शपथ पत्र पेश किया और न ही अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे उसे विलम्ब माफी का लाभ दिया जावे । रेस्पोडेन्ट संख्या-3 की मृत्यु अपील पेश होने के पूर्व ही होना मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है । नजीर 2017(3) डीएनजे(राज0) पेज 1054 में स्पष्ट किया गया है कि मुवक्किल को प्रर्याप्त जागरूक रहना चाहिये तथा स्वयं को कार्यवाहीयों के बारे में सूचना रखना जरूरी है ।अपीलान्ट ने विलम्ब माफी के लिये भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है ।नजीर 2012(3)डीएनजे(राज0) पेज 1715, ए0आई0आर0 1963(एस0सी0) पेज-99 के अनुसार अपीलान्ट की अपील सम्पूर्ण रूप से अबैट हो चुकी है ।अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कायम मुकाम खारिज किया जाकर